# छत्तीसगढ़ विधानसभा
# पत्रक भाग-एक
# संक्षिप्त कार्य विवरण
# मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2011
# (चैत्र-8, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

## 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 5, 7, 8, 10, 12 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सर्वश्री लखमा कवासी, बोधराम कंवर, अमरजीत भगत, नंदकुमार पटेल अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह के स्थान पर श्री अग्नि चन्द्राकर एवं प्रश्न संख्या 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री कुलदीप सिंह जुनेजा के स्थान पर श्री परेश बागबाहरा अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित एवं 36 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां) छत्तीसगढ़ शासन, पटल पर रखे।

## 3. सदन को सूचना

### उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर में मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2011 को सायं 7.00 बजे छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल श्री शेखर दत्त के मुख्य आतिथ्य में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम भी आयोजित है।

## 4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री धर्मजीत सिंह-(अनुपस्थित) देवजी पटेल, विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य ने डॉल्फिन स्कूल के संचालक के गायब होने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री भीमा मण्डावी, सदस्य ने जिला दंतेवाड़ा के आकाश नगर, काठमांडू कैम्प निवासियों को एन.एम.डी.सी. द्वारा बेदखल किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री भोलाराम साहू

(2) श्री मोहम्मद अकबर

## 6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ.सुभाऊ कश्यप, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन, तथा

(2) श्री फूलचंद सिंह, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

## 7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती लक्ष्मी बघेल

(2) श्री महंत रामसुंदर दास

(3) श्री नंदकुमार साहू

(4) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

## 8. शासकीय विधि विषयक कार्य

### (1) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5, सन् 2011)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5, सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

### (2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 8, सन् 2011)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 8, सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

### (3) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9, सन् 2011)

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9, सन् 2011) पुरःस्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचनाओं पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 5, सन् 2011) | - | 30 मिनट |
| (2) | छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 8, सन् 2011) | - | 30 मिनट |
| (3) | छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 9, सन् 2011) | - | 30 मिनट |

## (4) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) पर विचार किया जाय ।

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री नारायण चंदेल,

**(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)**

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

## (5) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2, सन् 2011)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2, सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री विरेन्द्र कुमार साहू।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 2, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

## (6) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण विधेयक, 2011 (क्रमांक 4, सन् 2011)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण विधेयक, 2011 (क्रमांक 4, सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री दीपक कुमार पटेल।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 14 तथा अनुसूची 1, 2, 3, व 4 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण विधेयक, 2011 (क्रमांक 4, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

## (7) छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6, सन् 2011)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6, सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

## (8) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 7, सन् 2011)

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 7, सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, शिवराज सिंह उसारे, फूलचंद सिंह।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 7, सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

**सायं 4.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 30 मार्च, 2011 (चैत्र 9, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।**

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा